न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—50/2014 (2014/00029) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मदनबाई पत्नि धर्मचन्द जैन निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—गोपी पुत्र उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—प्रहलाद पुत्र गोपी कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—अर्जुनलाल पुत्र भैरूलाल सुनार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—भगवती लाल पुत्र भैरूलाल सुनार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्द — वादीया अधिवक्ता
2. हरिश टेलर — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1296 रकबा 0.62 है0, आराजी संख्या 1297 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 1547 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 है0 भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 361 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आराजी संख्या 355/3ग/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी संख्या 369/3क/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसकी नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई तहसील रायपुर में नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात के नक्शे के अनुरूप वर्तमान आराजियात के नक्शे को सही नही बनाकर प्रतिवादी संख्या 1 की वर्तमान आराजी संख्या 1524 में मिला दिया तथा वादीया की आराजी संख्या 1525 की दक्षिणी पाली जो रोड़ के पास गई हुई थी तथा आराजी संख्या 1526 जो साबिक रजिस्ट्री एवं मौके की स्थिति के अनुसार वादीया की आराजी संख्या 1297 के उत्तरी तरफ फीट होनी चाहिये थी जो नही कर आराजी संख्या 1297 के पूर्वी तरफ फीट कर दिया जबकि सड़क की तरफ आराजी संख्या 1297 पुरी लम्बाई साबिक नक्शे के अनुरूप फीट होना चाहिये था जो नही हुआ जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 व उसके भाई व माता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के यहां विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 29/2010 अपील है। प्रतिवादीगण 1 व 2 वादीया की कब्जे शुदा आराजियात में नाजायज दखंलदाजी करते रहते है तथा प्रतिवादी आराजी संख्या 1297, 1525 की पश्चिमी व उत्तरी पाली पर जेसीबी लगाकर समतल कर दिया व मेड़ पर खड़े बबुल को भी जबरन काट दिया अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजियात वादीया की साबिक आराजियात के नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरस्ती नही हो जावे तब तक वादीया की आराजियात पर किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करावे न अन्य करावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 04.06.2014 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता हरिश टेलर द्वारा अधिकार पत्र किया जो पत्रावली किया गया काफी अवसर देने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही होने से जवाब बन्द कर एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.10.2020 को उपस्थित हो पत्रावली पर यह निवेदन किया कि रेकॉर्डेड खातेदार हुँ साक्ष्य की आवश्यकता नही वाद पत्र के अनुसार ही साबिक एवं हाल रेकार्ड पर अवलोकन करते हुए निर्णय फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादवर्णित आराजियात एवं पक्षकारो के मध्य एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 08 / 18 दर्ज होकर जैरकार है जो उक्त प्रकरण साबिक रेकार्ड और हाल रेकार्ड और नक्शे में तफावत होने से वर्ष 2007 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया जो 07 / 2007 होकर दिनांक 17.12.2009 को खारीज हो गया उस निर्णय के विरूद्व माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 06.07.2017 को प्रति प्रेषित किया गया जो विचाराधीन होकर निर्णय में है जो मूल साबिक और हाल राजस्व रेकार्ड के अनुसार दुरस्ती से सम्बधित प्रकरण है जिसका निर्णय होने पर उस अनुसार इस प्रकरण का भी निस्तारण माना जायेगा वादीया द्वारा जो रिलिफ इस प्रकरण से चाही गई है अगर साबिक रेकार्ड के अनुसार सही है तो उस प्रकरण से वादीया को रिलिफ मिलेगी यह प्रकरण उस प्रकरण संख्या 08 / 2018 के निर्णय के अधीन रहेगा। ऐसी स्थिति में बिना राजस्व रेकार्ड दुरस्ती में इस प्रकरण को स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वादवर्णित आराजियात से सम्बधित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 साबिक रेकार्ड के अनुरूप हाल रेकार्ड मे दुरस्ती बाबत् विचाराधीन है जो उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रार्थीया के ही द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण इस वाद में भी वादीया द्वारा अकिंत किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के प्रकरण संख्या 08 / 2018 के निर्णय में वादीया / प्रार्थीया को सहायता / अनुतोष मिल गया है जिससे वादीया के इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही ड्रोप की जाती है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.11.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजस्थान सरकार सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–50/2017 (2014/00029) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–मदनबाई पत्नि धर्मचन्द जैन निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1–गोपी पुत्र उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–प्रहलाद पुत्र गोपी कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–अर्जुनलाल पुत्र भैरूलाल सुनार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–भगवती लाल पुत्र भैरूलाल सुनार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादिया द्वारा प्रस्तुत वादवर्णित आराजियात से सम्बधित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 साबिक रेकार्ड के अनुरूप हाल रेकार्ड मे दुरस्ती बाबत् विचाराधीन है जो उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रार्थीया के ही द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण इस वाद में भी वादीया द्वारा अकिंत किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के प्रकरण संख्या 08/2018 के निर्णय में वादीया/प्रार्थीया को सहायता/अनुतोष मिल गया है जिससे वादीया के इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही ड्रोप की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.11.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested